newsjankalyanseva@gmail.com

साप्ताहिक

जनकल्याण सेवा

ठाणे | वर्ष - २३ | अंक - १० | २५ से ३१ मार्च २०२४ | पृष्ठ - ४ | कीमत : २ रु. | Postal Reg. No. PLG/08/2022-2024

संपादकीय

संपादक सीमा गुप्ता

पक्षपातपूर्ण व्यवहार

निर्वाचन आयोग को यह भरोसा कायम करना होगा कि हटाए गए अधिकारियों की जगह जिन्हें नियुक्त किया गया है, वे वास्तव में पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहीं करेंगे। आम चुनाव की तारीखों का एलान करने के साथ ही निर्वाचन आयोग ने गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के गृह सचिवों को हटाने का निर्देश जारी कर दिया। इसके अलावा मिजोरम और हिमाचल प्रदेश के सामान्य विभाग के सचिवों को भी हटाने का आदेश दे दिया। अब इस फैसले को राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। खासकर पश्चिम बंगाल सरकार इसे लेकर पक्षपात का आरोप लगा रही है। हालांकि चुनाव की तारीखें घोषित होने से पहले ही निर्वाचन आयोग ने सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिया था कि वे चुनाव संबंधी कार्यों से जुड़े उन अधिकारियों का तबादला करें, जिन्होंने अपने पद पर तीन वर्ष का समय पूरा कर लिया है या जो अपने गृह जिलों में तैनात हैं। मगर राज्य सरकारों ने उस निर्देश पर अमल नहीं किया था। उत्तर प्रदेश सरकार भी नहीं चाहती थी कि उसके गृह सचिव को हटाया जाए, मगर निर्वाचन आयोग ने उसकी दलील नहीं मानी। छिपी बात नहीं है कि चुनाव में शीर्ष अधिकारियों की बड़ी भूमिका होती है। गृह सचिव राज्यों में और जिलाधिकारी जिलों में निर्वाचन आयोग के प्रतिनिधि होते हैं। इसलिए अगर वे निष्पक्ष नहीं होंगे, तो उन जगहों पर चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठेंगे ही। इसलिए निर्वाचन आयोग ने छह राज्यों के गृह सचिवों और पश्चिम बंगाल के पुलिस आयुक्त को हटा दिया। हालांकि यह न तो पहली बार हुआ है और न कानून की नजर में कोई गलत कदम है। जहां भी निर्वाचन आयोग को लगता है कि कोई अधिकारी चुनाव में निष्पक्ष भूमिका नहीं निभा सकता या निभा रहा, तो वह उसे हटा कर उसकी जगह दूसरे अधिकारी को नियुक्त कर सकता है। राजनीतिक दलों की शिकायतों के मद्देनजर चुनाव प्रक्रिया के दौरान भी कई बार अधिकारियों को बदल दिया जाता है। अभी जिन राज्यों के गृह सचिवों और पश्चिम बंगाल के पुलिस आयुक्त को हटाया गया, उनके बारे में पहले से राजनीतिक दल शक जाहिर कर रहे थे। उनकी संबंधित राज्य सरकारों के प्रति अधिक निष्ठा देखी जा रही थी। पश्चिम बंगाल के पुलिस आयुक्त तो काफी समय से विवादों में घिरे थे। उनके खिलाफ सीबीआइ ने शिकंजा कसने की कोशिश की थी, तब मुख्यमंत्री खुद धरने पर बैठ गई थीं। ऐसे में भला उन पर कैसे भरोसा किया जा सकता था कि वे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने में सहयोग करेंगे, राज्य सरकार की मर्जी के अनुरूप काम नहीं करेंगे। उनके खिलाफ कांग्रेस ने भी शिकायत दर्ज कराई थी। उत्तर प्रदेश के गृह सचिव को लेकर भी इसी तरह की आशंकाएं जाहिर की जा रही थीं। ऐसे समय में, जब विपक्षी दल मतदान मशीनों में गड़बड़ी की आशंका जताते हुए आंदोलन पर उतरे हुए हैं, बड़े जन समुदाय में भी चुनाव प्रक्रिया पर संदेह पैदा हो गया है, तब ऐसे अधिकारियों को उनके पद पर बनाए रखना किसी भी रूप में उचित नहीं कहा जा सकता, जिनका आचरण संदिग्ध माना जाता रहा है। मगर केवल इतने भर से चुनाव में निष्पक्षता की गारंटी सुनिश्चित नहीं हो जाती।

लोकसभा चुनाव में टिकीट को लेकर शिंदे-अजीत में घमासान

जेकेएस संवाददाता

मुंबई, लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सभी प्रमुख दल इसकी तैयारियों में जुट गई है. लेकिन महायुति में शामिल सीएम एकनाथ शिंदे की शिवसेना और डिप्टी सीएम अजीत पवार की राकां पार्टी के अन्दर चल रही आपसी कलह से जूझ रही है. शिंदे गुट के पूर्व विधायक विजय शिवतारे ने बारामती से लोकसभा चुनाव लडऩे का ऐलान कर अजीत की मुश्किलों को बढा दिया है. वे लगातार अपने बयानों के माध्यम से अजीत को टारगेट कर रहे हैं. इससे उनके नेताओं में भारी नाराजगी है. ऐसा लग रहा है कि डिप्टी सीएम बारामती में अपने चाचा शरद पवार द्वारा बिछाई गई बिसात में फंस गए हैं. इस सीट से अजीत की योजना मौजूदा सांसद सुप्रिया सुले के खिलाफ अपनी पत्नी

सुनेत्रा पवार को उतारने की है. लेकिन शिवतारे ने यहां से चुनाव लडऩे का ऐलान कर अजीत की राह को को मुश्किल बना दिया है. शिंदे ने शिवतारे को समझाने की कोशिश की है, लेकिन वे चुनाव लडऩे की जिद्द पर अडे.हुए हैं. इन तमाम विवादों की वजह से शिंदे और अजीत लोकसभा चुनाव की तैयारियों में पिछड.गए हैं. एक ओर जहां पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी के लिए ताबडतोड. रैलियां कर रहे हैं. वहीं शिंदे और अजीत चुनाव प्रचार के लिए समय नहीं दे पा रहे हैं. शिवतारे को पार्टी से करो बाहर : अजीत गुट मुख्यमंत्री को विजय शिवतारे के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई कर उन्हें तत्काल निष्कासित करना चाहिए. यह मांग अजीत पवार गुट के प्रवक्ता उमेश पाटिल ने की है.

रिक्शा चुरानेवाला शशीकांत कामनोर को पुलिस ने किया गिरफ्तार

भाईंदर : नवघर पुलिस ने एक शातिर रिक्शा चोर को गिरफ्तार किया है। जो राह चलते रिक्शा की चोरी कर फरार हो जाया करता था। ये ही नही रिक्शे का सीएनजी या पेट्रोल जहा पर खत्म हो जाया करता था। उस रिक्शे को वहीं पर छोडक़र के दूसरी रिक्शा की चोरी कर फरार हो जाया करता था। साथ ही रिक्शा चोरी कर चलाया करता था। रिक्शा चलाने से जो भी पैसे मिलते थे। उससे वह अपना जीवन यापन करता था। रिक्शा चोर इतना शातिर है कि किसी भी मास्टर चाभी के बजाय रिक्शा की चोरी कर कुछ ही मिनट में फरार हो जाया करता था। नवघर पुलिस स्टेशन के हद में कई रिक्शा चोरी के मामले दर्ज हुए थे। रिक्शा चोरी की मामले को गंभीरता से लेते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन

में रिक्शा चोरी की जांच नवघर पुलिस कर रही थी। चोरी के स्थान के सीसीटीवी की जांच में एक व्यक्ति रिक्शा को लेकर जाते हुए दिखाई दिया। तांत्रिक विश्लेषण और सूत्रों की मदद से नवघर पुलिस ने आरोपी को एमएच कॉलोनी बोरीवली पश्चिम मंडपेश्वर मेट्रो स्टेशन के नीचे से गिरफ्तार किया। आरोपी का नाम शशिकांत मल्लेश कामनोर (३२) वर्ष है। जो भायंदर में रहता है और इसका मूल गांव गंजीखेड़ गुलबर्गा कर्नाटक है। आरोपी से अधिक जांच की गई तो आरोपी के निशानदेही से ७ रिक्शा बरामद किया गया। जिसकी कीमत ७ लाख ६९ हजार रुपये है। साथ ही इस आरोपी के गिरफ्तारी से नवघर और एमएचबी पुलिस स्टेशन के ७ केस डिटेक्ट हुए। नगर पुलिस की जांच में पता चला कि आरोपी मुंबई में रिक्शा चोरी के मामले में सजा काटकर आया हुआ है। नवघर पुलिस आरोपी से यह जांच कर रही हैं कि आरोपी और कहा कहा रिक्शा चोरी की वारदात को अंजाम दिया है।

पुलिस को मिली बडी कामयाबी, देशी हाथभट्ठी शराब जब्त

जेकेएस संवाददाता

भायंदर : भायंदर पुलिस थाना के डिटेक्शन ब्रांच ने बिक्री के लिए अवैध रूप से ले जाए जा रहे २लाख १५ हजार रुपए मूल्य की ४०० लीटर देशी हाथ भट्ठी की शराब जप्त कर २ लोगों को गिरफ्तार किया है. आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मीरा – भायंदर, वसई विरार आयुक्तालय क्षेत्र में चल रहे अवैध धंधों पर अंकुश लगाने और कारवाई के लिए वरिष्ठ अधिकारियों ने निर्देशित किया है. इसके अनुसार रात के समय पुलिस पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस हवलदार के.पी. परमार को खुफिया जानकारी मिली थी कि एक सिल्वर रंग की

कार में देशी हाथ भट्ठी की शराब भायंदर पश्चिम के मोरवा गांव की दिशा से ले जाया जाने वाला है. प्राप्त सूचना के आधार पर रात ड्यूटी में तैनात सहायक पुलिस निरीक्षक नरोटे व डिटक्शन ब्रांच ने नेताजी सुभाषचंद्र बोस मैदान के पास जाल बिछाया था. मंगलवार की रात १२.३५ के आसपास एक सिल्वर रंग की सेवरोलेट कार आती दिखाई दी. पुलिस ने कार ड्राइवर को रुकने का इशारा किया तो वह पुलिस को देखकर कार लेकर भागने लगा था.

मेहता गुट और रवि गुट के कार्यकर्ता आपस में सम्मान को लेकर भिड़े

भायंदर । उचित सम्मान को लेकर भाजपा के कार्यकर्ता आपस में ही भिड. गए। इसके चलते लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बुलाई गई सुपर वॉरियर्स की बैठक रद्द कर दी गई।धक्का – मुक्की,कहासुनी, हंगामा और नारेबाजी का वीडियो वायरल है। लोकसभा चुनाव को लेकर गुरुवार की रात ब्लूमून क्लब में भारतीय जनता पार्टी के सुपर वॉरियर्स व कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई थी।जिला महासचिव भरत बोहरा मंच संचालन कर रहे थे।आरोप है कि उनके द्वारा बार-बार पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता के नाम और काम का उल्लेख किया जा रहा था।पार्टी में मेहता विरोधी गुट के कार्यकर्ताओं ने अपने नेता(मीरा – भायंदर विधानसभा चुनाव प्रमुख एडवोकेट रवि व्यास) के नाम का जिक्र न करने पर आपत्ति जताई

और मंच पर चढ.कर हंगामा शुरू कर दिए।इसके बाद दोनों गुटों के बीच कहासुनी , नोंकझोंक शुरू हो गई।व्यास गुट के कार्यकर्ताओं ने बोहरा के हाथ से माइक छिनने की कोशिश की।इस दौरान धक्काजी – मुक्की भी हुई।जिलाध्यक्ष का गिरेबान पकडऩे का भी आरोप है।उसके बाद व्यास समर्थकों ने नारेबाजी की। हालात बिगडते देख बैठक को रद्द कर दिया गया।जिला अध्यक्ष किशोर शर्मा ने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच कुछ कहासुनी हुई थी।कोई बडा मामला नहीं है।जबकि व्यास गुट के सुरेश खंडेलवाल ने कहा बताया कि इसके पहले भी दो-तीन बार जानबूझकर उनके नेता रवि व्यास को सम्मान देने से परहेज किया गया था।हाल के नीचे प्रभारी जय प्रकाश ठाकुर,रवि व्यास,हेमंत म्हात्रे आदि नेता उपस्थित थे।

खेल के मैदान खेल का ही रहना चाहिए - विधायक प्रताप सरनाईक

भाईंदर : भायंदर के उत्तन चौक क्षेत्र के एकमात्र प्रमुख खेल के मैदान पर हेलीपैड के निर्माण पर ग्रामीणों ने नाराजगी व्यक्त की। ग्रामीणों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक ने इस गांव का दौरा किया. विधायक सरनाईक ने खेल मैदान में हेलीपैड बनाने का विरोध किया है और जिला कलेक्टर से चर्चा की है. वहीं, विधायक सरनाईक ने सीधे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से फोन पर हालात पर चर्चा की. बताया गया कि इसके बाद यहां हेलीपैड का काम रोक दिया गया और अब वह काम रद्द कर दिया गया है. डोंगरी में प्रस्तावित हेलीपैड सरकारी परिसर में बनाने की विधायक सरनाईक की मांग मान ली गई है। शिव सेना की ओर से उत्तन, चौक क्षेत्र में ग्रामीणों का हस्ताक्षर अभियान चलाया गया. खेल के मैदान का उपयोग केवल खेलने के लिए ही किया जाना चाहिए। हर हाल में यह खेल का मैदान सुरक्षित रहना चाहिए और खेल का मैदान खेल का मैदान ही रहना चाहिए, ऐसा विधायक सरनाईक ने कहा. विधायक सरनाईक ने इस संबंध में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से फोन पर चर्चा की. मुख्यमंत्री के आदेशानुसार विधायक सरनाईक आज स्थानीय नागरिकों की राय और स्थिति जानने के मोके पर पहुंचे थे. चौक के इस मैदान में क्रिकेट और अन्य खेल खेले जाते हैं। लेकिन यहां की कोली महिलाएं अप्रैल और मई में इसी मैदान में मछलियां भी सुखाती हैं. इसलिए यहां कोई हेलीपैड नहीं होना चाहिए है, भविष्य में कोई सरकारी गतिविधि नहीं होनी चाहिए इस खेल के मैदान को खेलने के लिए आरक्षित किया जाना चाहिए। विधायक सरनाईक ने ग्रामीणों से वादा किया कि मीरा भायंदर शहर की नई विकास योजना में भी यह मैदान 'खेल का मैदान' ही रहेगा और इस मैदान का संरक्षण किया जाएगा। बता दे भायंदर पश्चिम के उत्तन चौक स्थित खेल के मैदान में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा हेलीपैड का निर्माण शुरू करने पर ग्रामीणों ने नाराजगी जताई। नरवीर चिमाजी अप्पा स्मारक के पास इस मैदान में एक खेल का मैदान आरक्षित है। चौक, पाली, उत्तन, डोंगरी, तरोडी पंचक्रोशी खेल के लिए एकमात्र महत्वपूर्ण खेल का मैदान है और यहां विभिन्न खेल और क्रिकेट मैच आयोजित किए जाते हैं। निर्णय के आधार पर उत्तन चौक पर ना बन कर ये हेलीपैड डोंगरी मे बनेगा।

बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुनाई सजा, प्रदीप शर्मा को उम्र कैद

जेकेएस संवाददाता

मुंबई : बॉम्बे हाई कोर्ट एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा को को २००६ के रमानारायण गुप्ता उर्फ लखन भैया के फर्जी एनकाउंटर केस में दोषी माना। कोर्ट ने उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई है। गैंगस्टर छोटा राजन का करीबी बताकर गुप्ता के एनकाउंटर मामले में शर्मा को सत्र न्यायालय ने बरी कर दिया था। अब हाई कोर्ट ने मंगलवार को सत्र न्यायालय के फैसले पलटकर शर्मा को १८ साल बाद सलाखों के पीछे भेज दिया है। कोर्ट ने शर्मा को हत्या, अपहरण और आपराधिक साजिश के आरोप में दोषी ठहराया है। शर्मा एंटीलिया केस में भी आरोपी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल इस मामले में उन्हें जमानत दी थी लेकिन हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद शर्मा फिर जेल जाएंगे। जस्टिस रेवती मोहिते ढेरे और जस्टिस गौरी गोडसे की बेंच ने शर्मा की रिहाई को गलत मानते हुए उसे रद्द कर दिया। बेंच ने कहा कि सेशन कोर्ट ने शर्मा के खिलाफ उपलब्ध पर्याप्त और ढेरों सबूतों की अनदेखी की है। सबूतों की लंबी कडी प्रकरण में शर्मा की संलिप्तात को पूरी तरह से साबित करती है। बेंच ने मुंबई पुलिस के चर्चित अधिकारी रहे शर्मा को तीन हफ्ते के अंदर सत्र न्यायालय के सामने सरेंडर करने का निर्देश दिया है। ८७६ पन्नों के फैसले में बेंच ने मामले में सत्र न्यायालय द्वारा मामले में १३ आरोपियों को मिली आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा है। वहीं दोषी ठहराए गए छह लोगों को बरी कर दिया है। हालांकि अभी भी दोषी पुलिसकर्मियों के पास सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प है। २०१३ में निचली अदालत ने केस के २२ में से २१ आरोपियों को दोषी ठहराया था, वहीं शर्मा को सबूतों के अभाव में मामले से बरी कर दिया था। २१ में से दो आरोपियों की हिरासत के दौरान मौत हो गई थी। इसलिए उनके मामले को प्रकरण से अलग कर दिया गया था। शर्मा की रिहाई के खिलाफ राज्य सरकार और गुप्ता के भाई हाई कोर्ट में अपील की थी, जबकि दोषियों ने सजा के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। १८ नवंबर २०२३ को बेंच ने लंबी सुनवाई के बाद फैसले को सुरक्षित कर लिया था।

राजनीतिक दलों के नाम पर ठगी का व्यापार

जेकेएस संवाददाता

मुंबई: अगर आपके सोशल मीडिया मंच (फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि) पर किसी फौजी या पुलिस अधिकारी का वर्दी वाला फोटो और कम दाम पर घरेलू सामान बेचे जाने का ऑफर दिख जाए तो सावधान हो जाए। क्योंकि साइबर अपराधी किसी भी राजनीतिक दलों के नेताओं का करीबी अथवा पुलिस अधिकारियों या भारतीय सेना के जवानों का वर्दी पहने आपको चूना लगा सकते हैं। इसके लिए वे खुद को सीआरपीएफ का जवान बताकर एक शहर से दूसरे शहर में तबादला होने की वजह से कम कीमत पर मंहगे सामान बेचने की बात करेगा और पेमेंट ऑनलाइन देने का निवेदन करेगा। अगर आप भी ऐसे किसी फौजी या नेताओं के करीबियों के चक्कर में फंसे हैं, तो यह तुरंत इसकी जानकारी नजदीकी पुलिस को दें और इन फर्जी लोगों से दूर रहें। चारकोप पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (एमएनएस) के विभाग प्रमुख दिनेश साल्वी का

नकली प्रोफाइल बनाकर लोगों को ठगने का केस दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार, साल्वी का फोटो वाला डीपी के आधार पर फर्जी फेसबुक अकाउंट बना कर उसके परिचितों से धन मांगने की शिकायत साल्वी ने की है। एक अधिकारी ने बताया कि साल्वी का फोटो यूज कर खुद को साल्वी का दोस्त आशीष कुमार बताते हुए किसी व्यक्ति ने फेसबुक पर अपना अकाउंट बनाया। कथित आशीष ने खुद को सीआरपीएफ में कार्यरत और हाल ही में तबादला हो जाने की बात मेसेंजर पर पोस्ट किया। इस वजह से वह घर का फर्नीचर बेचने और मुसीबत में होने की वजह से पैसों की मांग किया। हालांकि, साल्वी का दोस्त होने के नाते कुछ लोगों ने नकली आशीष को पैसे भी भेजे लेकिन जब उन्हें सामान नहीं मिला तो उन्होंने साल्वी को फोन कर इसकी जानकारी दी।

किन्नर का भेष धर पैसे लूटने वालों का पर्दाफाश

पनवेल : नई मुंबई के उरन इलाके में किन्नर का भेष धारणकर लोगों से पैसे वसूलने वाले दो लोगों का स्थानीय लोगों ने पर्दाफाश कर दिया। गांव के लोगों ने दोनों लोगों के कपडे.उतारकर उन्हें गांव में घुमाया और लोगों से उन्हें पहचानकर अगली दफा उनके झांसे में नहीं आने का आव्हान किया। दरअसल, उरन में एक परिवार में मांगलिक कार्य का आयोजन किया गया था। समाज में ऐसी मान्यता है कि यदि मांगलिक कार्य में किन्नरों का आशीर्वाद मिलता है तो शुभ होता है । इसी आस में लोग अक्सर मांगलिक कार्य में लोगों को पैसे देकर उन्हें मनाने का प्रयास करते हैं। उरन में चल रहे मांगलिक कार्य के दौरान ४ किन्नर वहां आए और १ लाख रुपए मांगने लगे, जिसके बाद लोगों ने जब उन्हें मनाया तो २५ हजार रुपए लेकर जाने लगे, तब गांव के लोगों को उनके ऊपर शक हो गया। शक होने पर गांव के लोगों ने उनका पीछा करना शुरू किया तो दो लोग भाग निकले और २ लोगों को स्थानीय लोगों ने पकड.लिया, जिसके बाद लोगों ने उनकी तलाशी ली, जिसमे लोगों का शक सच साबित हुआ। फिर लोगों ने उनके कपडे.उतारकर गांव में घुमाया और आव्हान किया कि आगे से इन लोगों के झांसे में कोई न आए।

मनपा की लूट शुरू है : एमएमआरडीए को मेट्रो के लिए एफडी तोड़कर दी गई : एक हजार करोड़ की गिफ्ट !

मुंबई : शिंदे सरकार के इशारों पर मुंबई मनपा का कामकाज चल रहा है। परिणामस्वरूप मनपा की एफडी ९२ हजार करोड़ से घटकर ८४ हजार करोड़ हो गई थी। मनपा प्रशासन ने अब उसमें भी एक हजार करोड़ का गिफ्ट एमएमआरडीए को दे दिया है। ऐसे में मनपा के सुरक्षित भविष्य के लिए रखी गई जमा राशि अब घटकर ८३ हजार करोड़ ही रह गई है। एमएमआरडीए द्वारा मेट्रो के लिए अब तक हुए खर्च में से ५,००० करोड़ रुपए की मांग करने के साथ ही पहले चरण में कम से कम २,००० करोड़ रुपए देने की मांग भी की गई है। मुंबई की परिवहन व्यवस्था के लिए एमएमआरडीए द्वारा मेट्रो परिवहन प्रणाली स्थापित की जाएगी। राज्य सरकार के सचिव स्तर पर हुई बैठक में यह अवधारणा प्रस्तावित की गई कि इस परियोजना की लागत स्थानीय प्राधिकरण द्वारा साझा की जानी चाहिए। इसके मुताबिक प्रोजेक्ट की कुल लागत का २५ फीसदी हिस्सा स्थानीय प्राधिकरण को वहन करना होगा, इसके तहत मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए मनपा से पहले चरण में २,००० करोड़ की मांग की गई थी। इसके तहत मनपा ने एमएमआरडीए को एक हजार करोड़ रुपए दे दिए हैं। शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के कार्यकाल में मुंबई मनपा की एफडी में लगातार वृद्धि हो रही थी। इस दौरान विभिन्न परियोजनाओं के शूरू रहते हुए भी मनपा की एफडी बढ़कर ९२ हजार करोड़ तक हो गई थी लेकिन शिंदे सरकार के कार्यकाल में मनपा की यही एफडी तोड़कर खर्च चलाए जा रहे हैं। मेट्रो रेल परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए मनपा के वित्तीय योगदान (मेट्रो परियोजना लागत का २५ प्रतिशत, मल्टीमॉडल एकीकरण लागत का ५० प्रतिशत) के रूप में कुल १९ हजार ८९१ करोड़ ७० लाख रुपए का भुगतान करने की मांग की गई है। इसमें प्राधिकरण ने शहरी विकास विभाग से अब तक खर्च की गई ४,९६० करोड़ की राशि एमएमआरडीए को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। मनपा के वित्त विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस फंड के लिए राज्य के शहरी विकास विभाग ने १५ मार्च के दिन मनपा को पत्र भेजा था। इसके मुताबिक, मनपा की ओर से स्पष्ठ किया गया कि २०२४-२५ के बजट में इसके लिए पांच हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिसमें से ९५० करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। ७ मार्च २०२४ को मनपा ने ९५० करोड़ की यह एफडी ७.९३ फीसदी की सालाना ब्याज दर पर बैंक में रखी गई थी। अंतिम तिथि २९ मार्च, २०२५ थी।

शशि लोहारुका को मिला दादा साहब फाल्के पुरस्कार

जेकेएस संवाददाता

मीरारोड : प्रसिद्ध सेलिब्रिटी मैनेजर और सामाजिक कार्यकर्ता शशि लोहारुका को एसीपी संजय पाटिल और बॉलीवुड गायक अरविंदर सिंह से सर्वश्रेष्ठ सेलिब्रिटी मैनेजर के लिए दादा साहेब फाल्के प्रतिष्ठित पुरस्कार २०२४ प्राप्त हुआ।दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त होने के बाद शशि लोहारुका ने सभी का आभार व्यक्त किया हैं साथ ही उन्होंने कहा कि इसी तरह ईमानदार और निष्ठापूर्वक कार्य करते रहूंगा। बता दे कि शशि लोहारुका जरूरतमंद लोगों की सेवा करने हेतु अग्रसर रहते हैं।

मीरा भाईंदर के भाजपा ने शिवसेना के उम्मीदवार के लिए काम करने से किया इन्कार

जेकेएस संवाददाता

भायंदर । मीरा भायंदर में शिवसेना (शिंदे) और भाजपा के बीच कडव़ाहट का साइड इफेक्ट सामने आने लगा है। ठाणे लोकसभा सीट के बंटवारे से पहले ही भाजपा कार्यकर्ताओं ने शिवसेना (शिंदे) के प्रत्याशी के लिए काम करने से इंकार कर दिया है।भाजपाइयों ने अपने फैसले से पार्टी के शीर्ष नेता और राज्य के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को अवगत करा दिया है। दरअसल मीरा भायंदर में भाजपा और शिवसेना मित्र दलों के बीच रिश्ते तल्ख रहे हैं।दोनों दलों के नेताओं में शीत युद्ध होता रहता है।एक दूसरे को मात देने में कोई कसर नही छोडते हैं।शिवसेना के स्थानीय नेता प्रताप सरनाईक ने हाल ही में भाजपा के पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता के समर्थकों को चंडाल चौकडी कह डाला था। यह बयान आग में घी डालने का काम किया है। भाजपा के वरिष्ट नगरसेवक ध्रुवकिशोर पाटील ने कहा की शिवसेना ने भाजपा को हमेशा नुकसान पहुंचाने काम किया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के करीबी दिलीप ढोले जब मनपा आयुक्त थे,तब उन्होंने भाजपा नेताओं को काफी तकलीफ दिया।उसका सांसद आने के बाद वह हमें और नुकसान पहुंचाएगी। पूर्व भाजपा विधायक नरेंद्र मेहता ने कहा मीरा भायंदर पर बीजेपी का हक है। हमारा सबसे ज्यादा जनाधार है।शिवसेना के नेताओं ने स्थानीय स्तर पर भाजपा को दबाने और खत्म करने का काम किया है। कार्यकर्ताओं में इसको लेकर काफी आक्रोश।उनकी भावना से हमने पार्टी शीर्ष नेतृत्व को अवगत करा दिया है।

थाने में पुलिसकर्मी को जडा चांटा, जहर खाने की कोशिश, आरोपी परिवार के बाप-बेटे गिरफ्तार

जेकेएस संवाददाता

मुंबई: दिंडोशी पुलिस ने एक ही परिवार के चार लोगों के खिलाफ पुलिसकर्मियों पर कथित रूप से हमला करने और उन्हें अपने कर्तव्यों का पालन करने से रोकने के आरोप में मामला दर्ज किया है। इन आरोपियों में से दो आरोपी राहुल और सनी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों की पहचान ७० वर्षीय वसंत काले और उनके बेटे राहुल व सनी और बेटी निशा के रूप में की गई है। एफआईआर

के मुताबिक, सोमवार शाम को एक महिला ने राहुल और सनी के खिलाफ आईपीसी की धारा ३५४ के तहत (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से आपराधिक बल प्रयोग) के मामला दर्ज कराने दिंडोशी थाने पहुंची थी। आरोप है कि जैसे ही इसकी सूचना काले परिवार को मिली, जिसके खिलाफ महिला शिकायत दी थी, वे लोग थाने पहुंच कर महिला और पुलिस को गाली देनी शुरू कर दी। उन्होंने कथित तौर पर पीडित़ा को धमकी भी दिया। जहर खाकर जान देने का प्रयास थाने में शोर-शराबा होते देख एक पुलिसकर्मी काले परिवार को शांत करने की कोशिश की। आरोप है कि वसंत काले ने कथित तौर पर ड्यूटी पर तैनात एक पुलिस अधिकारी के साथ बहस और मारपीट की। इस दौरान काले के बेटे सनी ने जहर खाकर आत्महत्या करने का प्रयास भी किया जबकि बेटी निशा ने पुलिसकर्मियों के खिलाफ सनी को जान देने जैसे कदम उठाने के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया। हालांकि, पुलिस ने ऐन वक्त पर सनी को रोक लिया, लेकिन एक चारों में से एक आरोपी ने एक पुलिसकर्मी की गर्दन पर पंजे मार दिए, जिससे उस पुलिसकर्मी को मूली चोटें आईं। सहायक पुलिस निरीक्षक नितिन सवाने की शिकायत के आधार पर काले परिवार के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर दिंडोशी पुलिस मामले की जांच कर रही है।

हर साल करोडो का चुना सेंट्रल रेलवे डिवीजन को

जेकेएस संवाददाता

मुंबई: मध्य रेलवे मुंबई डिविजन में इन दिनों गडब़डिय़ों का दौर शुरू है। इस बार गडब़डी एस्केलेटर्स के रखरखाव को लेकर सामने आई है। आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली के सवालों का जवाब देते हुए मध्य रेलवे ने बताया कि एस्केलेटर्स मेंटिनेंस के लिए उन्हें प्रति एस्केलेटर २.९७ लाख रुपये खर्च करने पड.रहे हैं जबकि पश्चिम रेलवे प्रति एस्केलेटर १.८५ लाख रुपये खर्च कर रही है। मध्य रेलवे को केवल एस्केलेटर मेंटिनेंस से प्रतिवर्ष १.१३ करोड.का नुकसान हो रहा है। आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने मध्य और पश्चिम रेलवे प्रशासन से एस्केलेटर के संबंध में विभिन्न जानकारी मांगी थी। पश्चिम रेलवे के वरिष्ट मंडल विद्युत अभियंता शकील अहमद ने अनिल गलगली

को बताया कि चर्चगेट और विरार के बीच १०६ एस्केलेटर हैं। वहीं, मध्य रेलवे के वरिष्ट मंडल विद्युत अभियंता एच.एस.सूद ने अनिल गलगली को बताया कि सीएसटीएम से कल्याण और सीएसटीएम से वाशी के बीच १०१ एस्केलेटर हैं। पश्चिम रेलवे ने एस्केलेटर बंद होने की जानकारी देते हुए बताया है कि एक साल में १८२५ एस्केलेटर बंद होते हैं। ९५ प्रतिशत मामलों में किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा आपातकालीन बटन बंद करने से एस्केलेटर बंद हो जाता है। मध्य रेलवे के एच.एस.सूद ने माना है कि बंद एस्केलेटर की जानकारी का विवरण नहीं है। विशेष दिनों पर बंद किए गए एस्केलेटर की जानकारी अनुरोध पर प्रदान की जा सकती है। आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने बताया कि एस्केलेटर्स में मेंटिनेंस के नाम पर हो रही गडब़डी पर विजिलेंस को कार्रवाई के लिए शिकायत की है। गलगली ने सवाल उठाया कि जब मध्य रेलवे के पास डेटा ही नहीं है कि एक एस्केलेटर्स कितनी बार बंद हो रहे हैं, तो मेंटिनेंस की रकम किस लिहाज से दी जाती है। गौरतलब है कि सोशल मीडिया पर रोजाना दर्जनों शिकायत एस्केलेटर्स के बंद पडे.रहने की मिलती है। सूत्रों का कहना है कि मध्य रेलवे पर सालभर में करीब ३-४ हजार बार एस्केलेटर्स बंद हो रहे हैं, इसकी वजह से आंकडे. उजागर नहीं किए जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में मध्य रेलवे मुंबई डिविजन में सीबीआई द्वारा भी भ्रष्ठाचार से जुडी कार्रवाई की गई थीं। इसके अलावा इन दिनों दादर, ठाणे और कल्याण जैसे स्टेशनों पर क्राउड मैनेजमेंट के नाम पर स्टॉल्स हटाए जा रहे हैं। डिविजन की इस कार्रवाई में भी कई गंभीर आरोप लग रहे हैं। सूत्रों के अनुसार एनएफआर में रेल कोच रेस्टॉरेंट्स को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। इससे पहले लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर आग लगने की एक घटना के बाद पूरे मुंबई उपनगरीय स्टेशनों पर कुकिंग बंद कर दी गई जिससे सालों से रेलवे में रोजी-रोटी कमाने वाले स्टॉल्स वालों को चोट पहुंची है। मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी स्वप्निल निला ने बताया कि एस्केलेटर्स के संबंध में रेलवे द्वारा ताजा आंकडे. दिए गए हैं। आरटीआई के जवाब में पूरी पारदर्शिता बरती गई है। अन्य रेलवे द्वार दिए गए आंकडों में हो सकता है मेंटिनेंस की रेट पुराने कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से बताई गई है।

नवी मुंबई में ९.६ लाख रुपये के प्रतिबंधित तंबाकू के प्रोडक्ट बरामद, दो लोग गिरफ्तार

जेकेएस संवाददाता

ठाणे: महाराष्ट्र के नवी मुंबई शहर में एक टेम्पो से ९.६ लाख रुपये मूल्य के प्रतिबंधित तंबाकू उत्पाद बरामद किए गए हैं। एक अधिकारी ने यह जानकारी देते हुए मंगलवार को बताया कि इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गुप्त सूचना मिलने के बाद पुलिस ने पनवेल-सायन रोड पर वाशी गांव में जांच पडत़ाल की। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि प्रतिबंधित पदार्थ कहां से लाया गया था और कहां इसे ले जाया जा रहा था। महाराष्ट्र में २०१२ से गुटखा, सुगंधित और विभिन्न स्वाद वाले तंबाकू की बिक्री और उसके सेवन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वाशी पुलिस थाने के अधिकारी ने बताया कि मंगलवार देर रात करीब एक बजे टेम्पो को वहां आते देखा गया। पुलिस ने उसकी तलाशी ली। उन्होंने बताया कि पुलिस को टेम्पो से बोरियों में बंद विभिन्न ब्रांड के पान मसाला और अन्य तंबाकू उत्पाद मिले जिन्हें उन्होंने जब्त कर लिया है। पुलिस ने टेम्पो में सवार ३० और ५१ साल के दो लोगों को

गिरफ्तार कर लिया है। उनमें से एक ठाणे जिले के मुंब्रा का और दूसरा पुणे के मावल का रहने वाला है। अधिकारी ने बताया कि अभी इस मामले में दो और लोगों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा ३२८ (अपराध करने के इरादे से जहर आदि के माध्यम से चोट पहुंचाना), २७२ (बिक्री के लिए इच्छित भोजन या पेय में मिलावट), २७३ (हानिकारक भोजन या पेय की बिक्री), १८८ (लोक सेवक द्वारा विधिवत घोषित आदेश की अवज्ञा) और खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम २००६ के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है। अधिकारी के मुताबिक, पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि प्रतिबंधित पदार्थ कहां से लाया गया था और कहां इसे ले जाया जा रहा था। महाराष्ट्र में २०१२ से गुटखा, सुगंधित और विभिन्न स्वाद वाले तंबाकू की बिक्री और उसके सेवन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

ऑनलाइन टास्क की आड.में खाते से उड़ा दिए १२ लाख से अधिक रुपये, मुंबई में ये कैसी धोखाधडी?

जेकेएस संवाददाता

मुंबई: साइबर पुलिस ने ऑनलाइन टास्क की आड.में १२ लाख से अधिक रकम की कथित धोखाधडी के मामले में एक आरोपी को पकडा है। पुलिस ने आरोपी के बैंक खाते को फ्रीज कर दिया है जिसमें ३४.४३ लाख रुपये होने की बात कही गई है। साइबर पुलिस के मुताबिक, शिकायतकर्ता को किसी सिमरन नाम की महिला ने कॉल कर बताया कि वह डॉयल बायोटेक कंपनी से बात कर रही है। उसने शिकायतकर्ता को कुछ कंपनियों के उत्पादों के बारे में बताया और उसकी समीक्षा करने को कहा। कार्य पूरा करने पर उसने शुरुआत में शिकायतकर्ता को कुछ पैसे भी दिए। लेकिन, बाद में वह टास्क को पूरा करने और कुछ स्कीम में निवेश करने का शिकायकर्ता को ऑफर दिया जिसमें कम निवेश पर बेहतर रिटर्न मिलने का वादा किया गया। पैसे कमाने के लालच में पीडित़ सामने वाले के झांसे में आ गया और उसने १२.७ लाख रुपये उसको उसके कहे अनुसार समय समय पर ट्रांसफर करते रहे। बाद में जब उसको रिटर्न नहीं मिला तो उसे धोखाधडी का अहसास हुआ और उसने पुलिस का रुख किया।एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपियों ने पीडित़ से अलग-अलग बैंक खातों में पैसे जमा कराए। इन्हीं खातों में से एक खाते की जांच के दौरान आरोपी संतोष पटोले (५३) पकड.में आया, जिसके पूछताछ जारी है। इस गिरोह में कुछ महिलाएं भी शामिल हैं जिन तक पुलिस पहुंचने का प्रयास कर रही है। साइबर अपराधियों का हौसला इस कदर बुलंद है कि वह अब पुलिस और डॉक्टरों को भी नहीं छोड.रहा है। हाल ही में ६५ साल के एक डॉक्टर को एक स्कीम में निवेश करने पर आकर्षक रिटर्न का वादा कर उससे कथित तौर पर ८० लाख रुपये ठग लिए। हालंकि , पुलिस ने गोल्डन आवर में केस को सॉल्व कर लिया और धोखाधडी का मामला दर्ज कुर्ला निवासी शरियार छत्रीवाला उर्फ शोएब मेमन को गिरफ्तार कर लिया। इस अधिकारी ने बताया कि आरोपी ने नासिक निवासी डॉक्टर घनश्याम वर्मा से इतनी बडी रकम निवेश करने के नाम पर ठग लिए, जिसका भुगतान करने के लिए उन्हें रिश्तेदारों से पैसे उधार लेने पडे.। यहां तक कि उन्होंने अपना घर भी बेच दिया और उस रकम से उसने आरोपी को पैसे चुकाए। पीडित़ डॉक्टर की शिकायत के आधार पर आईपीसी की धारा ४२० के तहत मामला दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है। इससे पहले साकीनाका में रहने वाले एक पुलिसकर्मी से भी करीब पौने सात लाख रुपये निवेश में आकर्षक रिटर्न दिलाने का झांसा देकर अपराधियों ने ठग लिया था।

शातिर बाइक चोर को दो बाइक के साथ मीरा रोड पुलिस ने किया गिरफ्तार

मीरारोड : मीरारोड पुलिस ने एक शातिर बाइक चोर को गिरफ्तार किया है। जो दिनदहाड़े पार्क की गई बाइक को चोरी कर फरार हो जाया करता था। आरोपी शातिर बाइक चोर २००८ से बाइक की चोरी कर रहा है। जिसके ऊपर मुंबई के अलग अलग पुलिस स्टेशन में १३ से ज्यादा बाइक चोरी के मामले दर्ज है। १७ मार्च को शिवार गार्डन मीरा रोड में पार्क बाइक को किसी अज्ञात व्यक्ति ने चोरी कर लिया था। जिसकी शिकायत मीरा रोड पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी। मिरारोड़ पुलिस स्टेशन की हद में बाइक चोरी की वारदात बढ़ गई थी। बाइक चोरी के मामले को गंभीरता से लेते हुए। मिरारोड़ पुलिस ने वरिष्ट अधिकारियों के मार्गदर्शन में मामले की

जांच सुरु की। घटनास्थल से सीसीटीवी और तांत्रिक विश्लेषण से मदद से आरोपी अल्ताफ अली यूनुस खान (३९) की जानकारी मिली। मिरारोड़ पुलिस ने भायंदर पूर्व में जाल बिछाकर आरोपी अल्ताफ अली यूनुस खान (३९) को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी से शख्ती से जांच करने पर आरोपी के पास से २ बाइक बरामद किया गया। आरोपी अल्ताफ अली यूनुस खान (३९) गैरेज में मैकेनिक का काम करता है। जिससे आरोपी को बाइक चोरी करने के सारे पैतरे मालूम है। मिरारोड़ पुलिस आरोपी से यह जांच कर रही है कि अब तक आरोपी ने मिरारोड़ में कितने बाइक चोरी की वारदात को अंजाम दिया है।

SHRI JAY HARISH MEHTA &
SMT. BHAKTI NANDKUMAR PAPAIYA.

Shop 11/12, Janki Orchid, 90 feet Road, Bhayandar (West), Thane – 401101.

Public Notice

This to inform the public at large that Shri. Jay Harish Mehta & Smt. Bhakti Nandkumar Papaiya have filed a Special Ciliv Suit No.74 of 2023 in the Court of Civil Judge (S.D) Thane against M/s. Jaanvi Developers, Shri Devaram Chhelaji Mandora, Shri Jitendra Devaram Mandora, Shri Khetsingh Takhatsingh Meditya and Mira Bhayander Municipal Corporation for seeking declaration and injunction in respect of the land bearing Old survey No.136, Old Hissa no.4(part),New survey No.98, New Hissa No.4/C, admeasuring 910Sq.meters,situate,lying and being at Village –Khari, Bhayandar East, Taluka and District – Thane.

This is to make known to the public at large that not to deal with the said property either with M/s. Jaanvi Developers, Shri Devaram Chhelaji Mandora,Shri Jitendra Devaram Mandora, Shri Khetsingh Takhatsingh Meditya, Mr.Antony Scoopy Pereira and Mira Bhayandar Municipal Corporation or any other person/s claiming through them. Inspite of aforesaid, if any person or person deal with the property either with M/s. Jaanvi Developers, Shri Devaram Chhelaji Mandora, Shri Jitendra Devaram Mandora, Shri Khetsingh Takhatsingh Meditya, Mr. Antony Scoppy Pereira and any other person/s then in that case, they shall not get the title of the property, which the public at large should take the note.

Date : 13th March, 2024
Place ; Thane

Shri. Jay Harish Mehta
A/101, Radha Vallabh,
Behind D'Mart, Bhayandar West, Thane – 401-101.

राम लला की स्थापना के दौरान नफरत भरे भाषण को लेकर नेताओं के खिलाफ याचिका

जेकेएस संवाददाता

मुंबई, अयोध्या में राम लला की स्थापना के बाद मुंबई से सटे मीरा रोड इलाके में सांप्रदायिक झडप़ हुई थी. झडप़ के समय से लेकर उसके बाद इस इलाके में एक रैली भी की गई थी. हाई कोर्ट के आदेश के बाद इस रैली को कडी शर्तों के साथ अनुमति दी गई थी. अब इसी मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट में बीजेपी वेह कई विधायकों पर नफरत भरे भाषण देने के आरोप में एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है. डबल बेंच इस मामले पर २७ मार्च को सुनवाई करेगी. बॉम्बे हाई कोर्ट में दर्ज याचिका में गुरुवार को बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और महाराष्ट्र के भाजपा विधायकों नितेश राणे और गीता जैन और तेलंगाना के भाजपा विधायक टी राजा सिंह के खिलाफ नयानगर में सांप्रदायिक झडप़ों के दौरान और बाद में कथित नफरत भरे भाषण देने के लिए एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है. हिसा के दो पीडितों सहित पांच याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया. क्योंकि पुलिस इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बावजूद अपने दम पर मामले दर्ज करने में विफल रही.

नारायणा ई-टेक्नो स्कूल के खिलाफ अभिभावकों कस हल्लाबोल

जेकेएस संवाददाता

भायंदर, भायंदर पश्चिम में स्थित नारायणा ई-टेक्नो स्कूल के बाहर शनिवार को करीब ३०० से अधिक अभिभावकों ने स्कूल द्वारा लागू की गई नई फीस स्ट्रक्चर (शुल्क संरचना) सहित ७ मुद्दों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया. पैरेंट्स टीचर एसोसिएट के सदस्यों का आरोप है कि स्कूल प्रशासन ने बिना सदस्यों को विस्वास में लिए बच्चों के फीस स्ट्रक्चर में वृद्धि कर दी है, स्कूल का ड्रेस अचानक बदल दिया है और उसे स्कूल से ही खरीदना अनिवार्य कर दिया है. जो ड्रेस बाहर १८०० रुपए तक आसानी से उपलब्ध हो जाता है.उसी ड्रेस ६००० रुपए मांगा जा रहा है. एक एन लर्न ऐप लेना अनिवार्य किया है, जबकि उस ऐप की कोई उपयोगिता नहीं है. दो बच्चों के अभिभावकों को जबरन २ ऐप लेने के लिए बाध्य किया जा रहा है. फीस की किश्त पैटर्न ३०%, ३०% और ४०% की बजाए वर्ष की शुरुआत में ही ५०% फीस की किश्त मांगी जा रही है. पैरेंट्स टीचर एसोसिएट के सदस्यों ने बताया कि स्कूल में प्ले ग्राउंड, मेडिकल सुविधा, कैफेटेरिया, स्वच्छता आदि का अभाव है. फीस स्ट्रक्चर में वृद्धि और बेवजह डिपोजिट रकम (कॉशन मनी) मांगना अभिभावकों पर अनावश्यक बोझ बढाने जैसा है. हालांकि अभिभावकों के विरोध के बाद स्कूल प्रबंधन ने इन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मंगलवार का समय दिया है.

मुजाहिद शेख हुआ गिरफ्तार, फोटो छेड़छाड़ के आरोप में

जेकेएस संवाददाता

भाईंदर: फेसबुक पर श्री स्वामी समर्थ महाराज की फोटो के साथ छेड़छाड़ कर देश के प्रधानमंत्री का चेहरा लगा कर अपशब्द लिखने वाले मुजाहिद शेख के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग विधायक गीता जैन ने की। जैन ने इस मामले को लेकर कहा कि श्री स्वामी समर्थ महाराज सिर्फ महाराष्ट्र के ही नहीं देश के करोडों भक्तों के श्रद्धा स्थान है। स्वामी समर्थ महाराज में लोगों की आस्था है और आस्था के साथ खिलवाड़ काबिले बर्दास्त नहीं है। मुजाहिद शेख ने अपने फेसबुक पर महाराज के चेहरे को हटा कर वहां देश के प्रधानमंत्री की फोटो लगा कर स्वामी सत्यानाशी महाराज लिख कर देश के प्रधानमंत्री का अपमान किया है जो बर्दास्त नहीं किया जा सकता है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए नवघर पुलिस ने कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर के जांच शरू की. जांच के दोरान नवघर पुलिस ने भायंदर के पश्चिम के उत्तन आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस मामले मे परिमंडल १ के पुलिस उप आयुक्त प्रकाश गायकवाड़ ने जानकारी दी, और और जनता से आह्वान करते हुए कहा कि इस तरह का कोई पोस्ट नहीं करना चाहिए जिस से किसी की भावनाओ को ठेस पहुंचे।

पुलिस की कार्यकुशला से फरार आरोपी को धरधबोचा

जेकेएस संवाददाता

मीरा-भाईंदर, काशीगांव: गत १४ मार्च को समपप पुलिस आयुक्त मधुकर पांडे की पहल पर मीरा भायंदर शहर में नवसृजित काशीगांव थाने के शुरू होने के बाद से थाने के अभिलेखों में वांछित आरोपियों की तलाश पुलिस द्वारा सरगर्मी से शुरू कर दी गई और इसी कडी में पुलिस को मिले दस्तावेजों के अनुसार १३ मार्च २०१९ को शिकायतकर्ता रिटा पटेल के पति योगेश पटेल को मुबारक अली कमजुमा खान, २. अंकुश अनिलभाई अग्रवाल, ३. लल्लू इन तीनों ने फाउटन होटल में बुलाकर मारपीट कर ६०,०००/- रुपये के साथ आधार कार्ड और पैन कार्ड भी जबरन ले लिया, उपरांत शिकायतकर्ता की शिकायत पर काशीमीरा थाने में आईपीसी की धारा ३६४ ए, ३६५ ३९४, ३२५, ३२६, ३२३, ३४ के तहत मामला दर्ज किया था। उक्त मामला दर्ज होने के बाद अपराध

की प्रारंभिक जांच में पुलिस ने दिनांक २१/०६/२०१९ को आरोपी मुबारक अली खान को बोरीवली एवं ३१/७/२०१९ के दिन नंदुरबार से अंकुश अग्रवाल को गिरफ्तार किया, पर तीसरा आरोपी लल्लू फरार था। पुलिस उपायुक्त प्रकाश गायकवाड एवं वरिष्ट पुलिस निरीक्षक राहुल पाटिल व उनकी टीम द्वारा चलाये जा रहे ऑल आउट ऑपरेशन के दौरान ही गुप्त सूत्रों वेह माध्यम से विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई कि उक्त अपराध में फरार लल्लू नाम का आरोपी काशीमिरा वेह नीलकमल नाका मार्केट में आया हुआ है, तुरंत जब क्राइम डिटेक्शन टीम ने खबर की पुष्ठि के लिए उक्त परिसर की तलाशी ली तो उन्हें एक संदिग्ध व्यक्ति मार्केट में घूमता हुआ मिला, पुलिस टीम ने उसका पीछा किया और जब उससे पूछताछ करनी चाही तो वह भागने लगा, तो पुलिस दल ने उसका पीछा कर पकड. लिया और हिरासत में लेकर कडाई से पूछताछ के दौरान उसने अपना नाम सत्यनारायण राम कैलास पाल उर्फ लल्लू बताकर अपने जुर्म को कबूल कर लिया और इस तरह बेहद नाटकीय अंदाज में पिछले ५ वर्षों से फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे डाल दिया।

शहर की विकास योजना को लेकर सरकार की मंजुरी

मीरा-भायंदर में स्विमिंग पूल, हॉस्पिटल, समाज भवन जैसे विकास कार्यों को मिलेगी गति

जेकेएस संवाददाता

भायंदर, मीरा भायंदर मनपा क्षेत्र में कुल ७ महत्वपूर्ण आरक्षणों को बदलने के प्रस्ताव को राज्य सरकार के नगर विकास विभाग ने मंजूरी दे दी है. नगर विकास विभाग के कार्यासन अधिकारी संदीप जोशी ने इस आशय का पत्र मनपा आयुक्त संजय श्रीपतराव काटकर को भेजा है. इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने से शहर में स्विमिंग पूल, हॉस्पिटल, विभिन्न समाज भवन के निर्माण व विकास कार्य को गति मिलने का दावा विधायक प्रताप सरनाईक ने किया है. इन आरक्षणों में फेरबदल करने के लिए विधायक सरनाईक सतत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व राज्य सरकार के नगर विकास विभाग से प्रयासरत थे. मीरा भायंदर मनपा ने २२ दिसंबर २०२३ को शहर की विकास

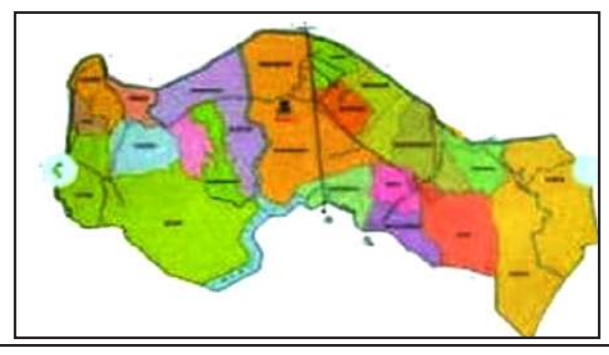

योजना प्रारूप के विभिन्न आरक्षणों में बदल करने का प्रस्ताव राज्य सरकार के पास मंजूरी के लिए सादर किया था. आरक्षण में परिवर्तन प्रस्ताव को मंजूरी मिलने से अब प्रशासन के लिए विकास कार्य शुरू करने का मार्ग प्रशस्त हो गया है. मैंने स्विमिंग पूल, लता मंगेशकर संगीत गुरुकुल, कैशलेस अस्पताल, फुटबॉल टर्फ, महिलाओं वेह लिए हिरकणी कक्ष, जिमनास्टिक सेंटर, कब्रिस्तान और श्मशान, घन कचरा प्रक्रिया प्रकल्प जैसे कई महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपयोगिता के विकास कार्यों का प्रस्ताव दिया था. मनपा से मंजूर विकास योजना में समाविष्ठ आरक्षण क्रमांक ११०-प्राथमिक विद्यालय और खेल के मैदान को 'स्विमिंग पूल' के रूप में नामित करने, आरक्षण क्रमांक २१० डिस्पेंसरी एवं प्रसूति गृह तथा आ.क्र. २११-सामुदायिक भवन को मिलाकर आरक्षित किया गया है.

मकान मालिकों पर गिरी गाज, किराएदारों की जानकारी नहीं देने पर हो सख्ती है कारवाई

जेकेएस संवाददाता

मीरा भयंदर-वसई विरार (एमबीवीवी) पुलिस ने फ्लैट, मकान या किसी भी प्रकार के वाणिज्यिक प्रतिष्टानों को पट्टे पर देते समय जानकारी साझा करने में विफल रहने के लिए नालासोपारा में ११ मकान मालिकों के खिलाफ मामले दर्ज किए हैं। उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा १८८ (लोक सेवक द्वारा विधिवत आदेश की अवज्ञा) और विदेशी अधिनियम के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया और अदालत के सामने पेश किया गया। क्षेत्र में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों की चिंताजनक उपस्थिति से एमबीवीवी पुलिस स्तब्ध है. संपत्ति मालिकों और संपत्ति एजेंटों को किराये के लेनदेन करने से पहले सूचित करने के उनके कर्तव्य के बारे में याद दिलाने के लिए नियमित रूप से निर्देश जारी कर रहा है और जागरूकता पैदा कर रहा है। मकान मालिकों के अलावा, होटल, लॉज, क्लब और गेस्ट हाउस सहित प्रतिष्टानों के लिए यह बाध्यकारी है कि वे अपने विदेशी किरायेदारों/ मेहमानों का विवरण निर्धारित प्रारूप में २४ घंटे भीतर स्थानीय पुलिस

स्टेशन में जमा करें। दोनों पक्ष जुर्माना अदा करें, ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने पर जेल की सजा भी हो सकती है। यह आदेश उन प्रतिष्टानों और निजी कंपनियों पर भी लागू होता है जो आठ नागरिकों को रोजगार देते हैं। पुलिस आयुक्त मधुकर पांडे ने कहा, धहालांकि नियम का पालन नहीं करने वाले मकान मालिकों को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पडेग़ा, लेकिन हमारा अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक कानून द्वारा अनिवार्य इस तरह की गैर-रिपोर्टिंग का मुद्दा क्षेत्र से खत्म नहीं हो जाता।ध यह पता चला है कि कुछ बदमाश बिना किसी सूचना के अपने किराये के आवास बदल देते हैं और देश में अधिक समय तक रहने का प्रबंधन केवल इसलिए करते हैं क्योंकि मकान मालिक और एजेंट नियमों का पालन नहीं करते हैं। सूत्रों ने कहा कि प्रगति नगर और मोरेगांव क्षेत्र आवास सुविधाओं की तलाश कर रहे नाइजीरियाई नागरिकों के लिए एक पसंदीदा स्थान बन गया है।

मिरा भाईंदर विकास प्रतिष्ठान के कोर कमिटी मे नए सदस्यों का हुआ चयन

जेकेएस संवाददाता

भायंदर: सामाजिक, सांस्कृतिक – धरोहर के संवर्धन, संरक्षण और विकास वेह लिए सतत ५ वर्षों से कार्य कर रहे मैथिल विकास प्रतिष्टान के कोर कमिटी में ६ नए सदस्यों का चयन सर्व सम्मति से किया गया है। प्राप्त जानकारी वेह अनुसार पूर्व में २६ कोर कमिटी सदस्य थे, जिनकी संख्या अब ३२ हो गई है। इसवेह अलावा ७५० सक्रिय सदस्य तथा हजारों की संख्या में समाज वेह लोग प्रतिष्टान से जुडे हुए हैं।। एमवीपी वेह संस्थापक और वर्तमान में संयोजक डॉ मोहन झा ने प्रतिष्टान के कोर कमिटी में जिन ६ नए सदस्यों का चयन किया है उसमें विनोद मिश्र पत्रकार, डॉ. अभय कुमार प्रोफेसर एनएमआईएमएस, शिव पाठक चार्टर्ड अकाउंटेंट, रंजीत झा (ईपीएफ ऑफिसर, विकास झा बिजनेसमैन तथा अजीत ठाकुर का समावेश है। पूरे देश में मैथिल विकास प्रतिष्टान वेह समाजिक कार्य को करने वेह लिए ११ एरिया कॉर्डिनेटर का भी चयन किया गया। प्रतिष्टान ने कई समाजिक कार्य किए है। जिनमे स्वास्थ शिविर, शिक्षा संस्कृतिक, वरिष्ट नागरिक सम्मान, महिला सम्मान, करोना काल में मदद कार्य आदि शामिल है । प्रतिष्टान की मांग पर शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक वेह प्रयासों से मैथिली समाज भवन का भूमिपूजन भी किया गया है। जिसका कार्य प्रगति पर है। हाल ही में प्रतिष्टान को मैथिल संस्कृति वेह संरक्षण और संवर्धन की दिशा में समाजसेवा व जनसेवा वेह माध्यम से उत्कृष्ठ कार्य वेह फलस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय मानक आईएसओ सर्टिफिकेट भी प्राप्त हुआ है।

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक-मुद्रक सीमा गुप्ता के लिए (प्रिंटींग) सागर प्रिंट एंड प्रोसेस, प्रगती इंडस्ट्रीयल, एन.एम. जोशी मार्ग, लोअर परेल (पूर्व), मुंबई - ४०००११ से मुद्रित १०१, १ला माला सेक्टर ११ सी-२८, टी.एम.टी. बस स्टॉप के पीछे, शांतिनगर, मीरारोड (पूर्व), जिला थाना ४०११०७ (महाराष्ट्र) से प्रकाशित संपादक - सीमा गुप्ता, सलाहकार : सुधाकर डी., पी.आर.बी अधिनियम के अंतर्गत समाचारों के चन के लिए उत्तरदायी है। सभी विवादों का न्याय क्षेत्र केवल जिला थाना रहेगा।
RNI NO. MAHHIN/2004/17839 Mob.No.9757262120 Email :newsjankalyanseva@gmail.com Jankalyan Seva GST No. 27AGUPG9011BIZI